

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फा0स0

मुख्यालय लखनऊ-1

पत्रांक: ~~आर-12~~ जे0डी0/लखनऊ-1(गाजि0)/ 248

दिनांक: जुलाई 27 2016,

सेवा मे,

विशेष कार्याधिकारी, (प्रवर्तन खण्ड जोन-1)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद।

विषय:

मैसर्स वी0वी0आई0पी0 लि0 द्वारा खसरा नम्बर-826, 1111, 1112, 1113, 1117, 1119, 1120, 1125, 1126, 1144, 1146 व 1147 गाग नूरनगर, गाजियाबाद व खसरा नं0-853, 854, 855, 856, 901 एवं 903 ग्राम-सददीकनगर, गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन " वी0वी0आई0पी0 एड्रेस " के टावर ए1, बी1, सी1, डी1, एवं ई1 (क्लब/रेजिडेंसियल) एवं हाईस्कूल के मानचित्रों पर अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

यूआईडी नम्बर 2016/22819/जीजैडबी/गाजियाबाद/1477/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना के माध्यम से प्रश्नगत बहुमंजिली आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद से किया गया है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों का परीक्षण एवं स्थल का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद से कराया गया उनकी संस्तुति आख्या दिनांक: 15-07-2016 का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद, पुलिस अधीक्षक नगर एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद की संयुक्त कमेटी द्वारा परीक्षण कर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के पत्र संख्या: 150/2016 दिनांक: 20-07-2016 के द्वारा पत्रावली उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ को प्रेषित की गयी जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर अपनी आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई गयी जिसके अनुसार प्रश्नगत भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

1-कुल प्लॉट एरिया-80088.18 वर्गमीटर।

2-नेट प्लॉट एरिया-53361.11 वर्गमीटर।

3-प्रस्तावित भूतल एरिया-4709.72 वर्गमीटर।

4-प्रस्तावित अपर बेसमेन्ट एरिया-8140.72 वर्गमीटर।

5-लोअर बेसमेन्ट एरिया-4110.04 वर्गमीटर।

नाम ब्लॉक व तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया (वर्गमी0)	कुल कवर्ड एरिया (वर्गमी0)	भवन की ऊचाई (मीटर मे)	स्टेयर की सं0 व चौड़ाई (मीटर में)
ब्लॉक ए1, 2बेस0+स्टिक्ट+25 तल	938.12	16207.12	78.75	02, 1.50/1.50
ब्लॉक बी1, 2बेस0+स्टिक्ट+25 तल	784.10	16207.12	78.75	02, 1.50/1.50
ब्लॉक सी1, बेस0+स्टिक्ट/भूतल+14 तल	756.04	7827.13	44.90	02, 1.50/1.50
ब्लॉक डी1, बेस0+स्टिक्ट+15 तल	1055.60	16362.63	44.95	02, 1.50/1.50
ब्लॉक ई1, भूतल। सर्विस तल+07 तल	775.86	5672.93	29.95	02, भूतल से तृतीय तल तक 2.00/1.25 मीटर तथा सर्विस तल से टैरेस तक 1.80/1.25 मीटर। इनके अतिरिक्त भूतल से टैरेस तक 1.0 मीटर चौड़ाई को सर्विस स्टेयर भी उपलब्ध है।
कन्वीनिएन्ट शॉप ब्लॉक ए के भूतल पर	141.60	-	-	-
कम्युनिटी ब्लॉक ए के भूतल पर	132.42	-	-	-
स्कूल भूतल+5 तल	400.00	2400.00	21.15	02 1.50/1.50

भवन का अधिगोण एवं हेजार्ड:-प्रश्नगत भवन का अधिगोण आवासीय अपार्टमेन्ट, (एन0वी0सी0-2005 की ए-4 श्रेणी) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

1-पहुँच मार्ग:-प्रश्नगत भवन के सामने रोड की चौड़ाई 45.0 मीटर चौड़ा रोड प्रदर्शित है।

2-प्रवेश द्वार:-प्रश्नगत भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई 06.00 मीटर है।

3-सैटबैक:-

टावर ए-1 एवं बी-1 के चारो ओर निम्नानुसार प्रदर्शित है:-

ए0-अग्रभाग-16.00मी0, बी-पृष्ठभाग-12.00 मीटर।

सी-पार्श्व प्रथम-12.00 मीटर। डी-पार्श्व द्वितीय-12.00 मीटर।

टावर सी1 एवं डी1 के चारो ओर निम्नानुसार प्रदर्शित है:-

ए0 अग्रभाग-15.00मी0, बी-पृष्ठभाग-13.00 मीटर।

सी-पार्श्व प्रथम-18.00 मीटर। डी-पार्श्व द्वितीय 13.00 मीटर।

टावर ई1 के चारो ओर निम्नानुसार प्रदर्शित है।

ए0-अग्रभाग-13.00मी0, बी-पृष्ठभाग-10.00 मीटर।

सी-पार्श्व प्रथम-10.00 मीटर। डी-पार्श्व द्वितीय-10.00 मीटर।

हाईस्कूल भवन के चारो ओर निम्नानुसार प्रदर्शित है।

ए0-अग्रभाग 06.00मी0, बी-पृष्ठभाग-08.00 मीटर।

सी-पार्श्व प्रथम-06.00 मीटर। डी-पार्श्व द्वितीय-06.00 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सैट बैक भवन विनियामली 2008 यथा संशोधित 2011 के अनुसार है। भवन/टावरो एवं स्कूल के चारो ओर अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओ हेतु न्यूनतम 06-06 मीटर हार्डसरफेस युक्त मोटोरेबुल मार्ग प्रदर्शित है। जिसे सदैव अवरोध मुक्त ऑपन टू स्काई रखा जायेगा। इसमें किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग:- प्रश्नगत भवन में उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयर केस प्रस्तावित है। फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है। प्रत्येक टावर की फायर स्टेयरकेस में 01 घण्टे फायर रेटिंग का फायर चैक डोर स्थापित करते हुये इसे एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार फायर टावर के रूप में बनाया जाना अनिवार्य होगा। बेसमेन्ट में लिफ्ट लॉबी तथा स्टेयर लॉबी का निर्माण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(2) लिफ्ट:-सभी टावरों में न्यूनतम एक लिफ्ट को एन0बी0सी0 मानकों के अनुरूप फायर लिफ्ट के रूप में बनाया जाना अनिवार्य होगा।

5-रिफ्यूज एरिया:- प्रश्नगत भवन के टावर ए-1, एवं बी-1, सी-1, व ई-1, में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान प्रस्तावित है तथा टावर डी-1, में 08 वें एवं 14 वें तल पर रिफ्यूज एरिया का प्राविधान प्रस्तावित है।

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-

1-भूमिगत टैंक:-प्रस्तावित भवन में अण्डर ग्राउण्ड वाटर स्टोरेज टैंक क्षमता-2,00,000 लीटर (दो लाख) मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

2-फायर पम्प:-प्रस्तावित भवन में इलैक्ट्रिक फायर पम्प क्षमता 2280 एलपीएम के दो अदद एवं समान क्षमता का डीजल फायर पम्प तथा जॉकी पम्प क्षमता 180 एलपीएम का प्राविधान किया जाना वांछनीय है।

3-होजरील मय डाउन कमर:-प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाला मग होज बाक्स, होज पाइप एवं ब्रांच पाइप आईएस:3044 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

4-वेटराइजर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में वेटराइजर सिस्टम का प्राविधान मानकों के अनुसार कराया जाना वांछनीय है।

5-यार्ड हाइड्रेंट सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में यार्ड हाइड्रेंट सिस्टम का प्राविधान मानकों के अनुसार कराया जाना वांछनीय है।

6-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:-दोनों बेसमेन्ट सहित टावर ए-1, एवं बी-1, के सम्पूर्ण भवन में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार कराया जाना वांछनीय है।

7-ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम:-टावर ए-1 एवं बी-1 के सम्पूर्ण भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार कराया जाना वांछनीय है।

8-मैन्युअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम:-सम्पूर्ण भवन में मैन्युअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान मानकों के अनुसार कराया जाना वांछनीय है।

9-टैरिस टैंक:-प्रश्नगत भवन के टावर ए-1, बी-1 ई-1 व स्कूल भवन की टैरिस पर टैरिस टैंक क्षमता 25,000 लीटर व टावर सी-1 व डी-1 की टैरिस पर टैरिस टैंक 10,000 लीटर मानकों के अनुसार वांछनीय है।

10-टैरिस पम्प:-टावर ई-1 एवं स्कूल भवन की टैरिस टैंक पर 900एलपीएम क्षमता का टैरिस पम्प स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

11-फायर एक्सटिंग्यूशर:-प्रश्नगत भवन में आईएस0 2190 मानक के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर्स का प्राविधान कराया जाना वांछनीय है।

12-एग्जिट साइनेज:-प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ०प्र०, रायपुर

13-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के दोनो बेसमेन्ट में मैकेनिकल वैन्टीलेशन/स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना बांछनीय है।

14-पी0ए0सिस्टम :- सम्पूर्ण भवन में पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था स्थापित करते हुए भवन के सभी तलों के कॉमन एरिया में लाउडस्पीकर लगाये जायें तथा पी0ए0 सिस्टम का कन्ट्रोल स्विच एवं माईक्रोफोन,एम्पलीफायर भूतल पर नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम/सुरक्षा कक्ष) में अनिवार्य रूप से स्थापित कराया जाये। नियन्त्रण कक्ष में लिफ्ट के इन्टरकम्यूनिकेशन सिस्टम के साथ-साथ सभी आकस्मिक सेवाओं से सम्बन्धित संचार सुविधा उपलब्ध रहे।

14-प्रश्नगत भवन में इमरजेंसी/स्कोप लाइटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना प्राविधानित होगा।

15-पालन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के पुराल संचालन एवं सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 प्रसार सी0 5,सी 6,सी 7,सी-8, सी-9 एवं सी 10 में उल्लेखित गानकों का पालन अनिवार्य होगा।

16-भवन की सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट,स्टेयर कैसो व कोरिडोर की लाइटों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से प्रथक लाईन(वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुये जोड़ा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर मैसर्स वी0वी0आई0पी0 लि0 द्वारा खसरा नम्बर-828, 1111, 1112, 1113, 1117, 1119, 1120, 1125, 1126, 1144, 1146 व 1147 ग्राम-नूरनगर, गाजियाबाद व खसरा न0-853, 854, 855, 856, 901 एवं 903 ग्राम-सददीकनगर, गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन "वी0वी0आई0पी0 एड्रेस" के टावर ए1, बी1, सी1, डी1, ई1 (क्लब/रेंजिडेन्सियल) एवं हाईस्कूल के मानचित्रों पर अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ब्लॉक में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 यथा सशोधित 2011 तथा एन0बी0सी0-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन निर्माण उपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ गानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर पूर्णता अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किये जाने वाला भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

अनुमोदित मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)

संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस

उ0प्र0 लखनऊ
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी हिण्डन साहिबाबाद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-प्रबन्धक मैसर्स विभौर वैभव इन्फ्राहोम प्रा0 लि0 ग्राम-नूरनगर, ग्राम-सददीकनगर, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यालय सहायक अभियन्ता नलकूप उपखण्ड प्रथम, गाजियाबाद

पत्रांक सं०:-221 / सहा०अभि०-1 / एन०ओ०सी० /

दिनांक:-31.03.14

विषय:- बोर वैल लगाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक :- शून्य / दिनांक :- 27.03.2014

निदेशक,

विमोर वैभव इन्फ्राहोम प्रा० लि०,

राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद।

आपका उपरोक्त विषयक पत्र जो भवन निर्माण एवं पेयजल के उद्देश्य से बोर वैल किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु लिखा गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि ग्राम:- नूरनगर के परित्यक्त नलकूप सं०:- 16 जीजी के कमाण्ड में खसरा सं०- 1117, 1119, 1120, 1125, 1126, 1146, 1147 व 826, 853, 854, 855, 856 पर निर्मित गुप हाउसिंग सोसायटी- वी०वी०आई०पी एड्रेसेस पर बोर वैल लगाये जाने हेतु सुरक्षित श्रेणी में है। उपरोक्त खसरा नं०- 1117, 1119, 1120, 1125, 1126, 1146, 1147 व 826, 853, 854, 855, 856 में पेयजल हेतु 1 बोर वैल लगाये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।



सहायक अभियन्ता
नलकूप उपखण्ड प्रथम
गाजियाबाद।

By Regd Post

Tele: 011-25687194/ 5315

HQ Western Air Command, IAF
Subroto Park
New Delhi-10

WAC/S 6369/1/28W/ATS(78/16)

13 June 2017

M/s Vibhor Vaibhav Infrahome Pvt Ltd
"VVIP Address" Raj Nagar Ext. NH-58,
Ghaziabad (UP)-201002

NOC FROM AVIATION ANGLE FOR
CONSTRUCTION OF BUILDING

Sir,

1. Please refer your application on the subject.
2. The application has been examined under Gazette of India GSR 751 (E), Works of Defence Act 1903 and other relevant orders on the subject. This Headquarters has no objection for construction of **86 m** high building(s) for group housing project at Khasra No- 826, 1111, 1112, 1113, 1117, 1119, 1120, 1125, 1126, 1144m, 1146 & 1147, Village- Noor Nagar and Khasra No- 853, 854, 855, 856, 901 & 903, Village- Siddik Nagar Ghaziabad (UP) **subject to following conditions:-**
 - (a) The NOC is from "Aviation Angle" and cannot be used as document for any other purpose/ claim whatsoever including ownership of land.
 - (b) The applicant is responsible to obtain NOC/ all statutory clearance from the concerned authorities including approval of building plans. Clearance shall also be obtained separately from any other defence establishment in the vicinity of proposed construction.
 - (c) The site elevation and site coordinates provided by the applicant are taken for calculation of the permissible top elevation of the proposed structure. However, at any stage, if it is established that the actual site elevation and site coordinates are different from those provided by the applicant, the NOC will be invalid.
 - (d) The issue of the NOC is further subject to the provisions of Sec 9 (A) of the Indian Aircraft Act 1934 and those of any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by buildings and trees etc) Rules, 1994.
 - (e) Vertical extent (highest point) of the building(s) proposed at coordinates mentioned overleaf **shall not exceed 299 m AMSL or 86 m AGL whichever is lower**. No extension or structure permanent or temporary (e.g. Cranes, Antennas, Mumtee, lightening Arresters, Lift machine room, Overhead water tank, Cooling towers, Sign boards, any attachment or fixtures of any kind) shall be permitted above the cleared height.

Corners	Latitude	Longitude	Site Elevation
A	28° 42' 02" N	77° 25' 44" E	213 m AMSL
B	28° 41' 59" N	77° 25' 42" E	213 m AMSL
C	28° 41' 54" N	77° 25' 49" E	213 m AMSL
D	28° 41' 57" N	77° 25' 51" E	213 m AMSL
E	28° 41' 53" N	77° 25' 57" E	213 m AMSL
F	28° 41' 54" N	77° 26' 06" E	213 m AMSL
G	28° 41' 58" N	77° 26' 11" E	213 m AMSL
H	28° 42' 03" N	77° 26' 03" E	213 m AMSL
I	28° 42' 05" N	77° 26' 01" E	213 m AMSL
J	28° 42' 07" N	77° 25' 59" E	213 m AMSL
K	28° 42' 04" N	77° 25' 55" E	213 m AMSL
L	28° 42' 01" N	77° 25' 58" E	213 m AMSL

(f) Standard obstruction lightings as per IS 5613 notification and International Civil Aviation Organization (ICAO) standards as stipulated in ICAO Annex-14 is to be provided by the company. The lights shall be kept '**ON**' at all times. Provision shall be made for standby power supply to keep the lights '**ON**' during power failure. Company shall carry out periodic maintenance of the lights to keep them in serviceable and visible condition.

(g) A garbage treatment plant shall be installed prior to the construction of buildings for the purpose of avoiding bird activity. The plant shall be shown to the Air Officer Commanding or his nominated representative at AF Station Hindan on installation.

(h) No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the airport shall be installed at the site at any time during or after the construction of the building.

(j) The commencement and completion of construction including installation of obstruction lights shall be intimated to Air Officer Commanding, AF Station Hindan. Failure to render these certificates within the stipulated time shall lead to cancellation of NOC.

(k) The NOC is valid for Five years from the date of its issue. If the building is not constructed and completed within this period, the applicant shall be required to obtain a fresh/ extension of NOC from Indian Air Force. Request for revalidation of NOC will not be entertained after the expiry of validity period.

Yours sincerely,



(Amit Bajpai)
Wing Commander
Command ATC Officer

Copy to:

Air HQ (VB) {JD Ops (ATS)}

AF Stn Hindan (SATCO)

Internal:

C Nav O



INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DELHI
NEW DELHI-110016, INDIA

Dr. Alok Madan

B.Tech (IIT Delhi) Ph.D. (USA), Member, ASCE

INAE Young Engineer, 2001

Professor

Department of Civil Engineering

Phone : 091-011-26591237 / 26591550

Fax : 091-011-26581117 / 26862037

E-mail : madan@civil.iitdernet.in

Ref.: AM/CE/IITD/VVIP/2015/1

CERTIFICATE

Ref. Your Letter No.: SSSPL/IIT/GH/2015-16/8 dated 29/10/2015

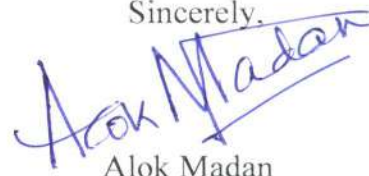
Structural design calculations and drawings for M/s Vibhor Vaibhav Infrahome Pvt. Ltd. of Add./Alt. in Submission Drawing for the Group Housing Project "VVIP Addresses" at Khasra No. 826, 1111, 1112, 1113, 1117, 1119, 1120, 1125, 1126, 1144m, 1146, 1147 at Village Noor Nagar & 853, 854, 855, 856, 901, 903 at Village Siddik Nagar, Ghaziabad (U.P.) were submitted by M/s. Swati Structure Solution Pvt. Ltd. to IIT Delhi for checking the design adequacy.

The structural design and drawing has been checked and corrected for compliance with the provisions of relevant Indian Standards. Discussions were also held with the Consultant. Clarifications were given by the Design Consultant on all the queries.

The revised structural design and drawings submitted to IIT Delhi are adequate in accordance with the provisions of relevant Indian Standard codes of practices for design of reinforced concrete buildings IS: 456, IS 1893 and IS 13920. The design calculations and drawings stamped by IIT Delhi showing framing plan, foundation plan, general arrangement, concrete member sizes and reinforcement are duly approved for documentation (Submission) purposes only.

The responsibility of the Indian Institute of Technology Delhi shall be limited to technical advice as above. All procedural/legal/operational matters will be the responsibility of the company.

Sincerely,


Alok Madan



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

F-67562

पंजीकृत

संदर्भ संख्या.....सी-1/एनओसी/जी-1043/2015

दिनांक.....23-9-15

सेवा में,

मै0 विभोर वैभव इन्फ्रा होम प्रा0लि0,
ग्रुप आवासीय परियोजना "वी0वी0आई0पी0 एड्रेसेस"
खसरा नं0- 853, 854, 855, 856, 901, 903, 1111 एवं 1114,
ग्राम- नूरनगर, परगना लोनी, राज नगर, एक्सटेंशन,
गाजियाबाद।

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से परियोजना के विस्तारीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक शून्य का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:-

(क) स्थल:- "मै0 वी0वी0आई0पी0 एड्रेसेस" खसरा नं0- 853, 854, 855, 856, 901, 903, 1111 एवं 1114, ग्राम- नूरनगर, परगना लोनी, राज नगर, एक्सटेंशन, गाजियाबाद

(ख) उत्पादन:-प्रस्तावित 66406 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल, बिल्टअप एरिया 2,58,548.42 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय परियोजना का निर्माण।

ग) मुख्य कच्चे माल:-बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा:- 323 के0एल0डी0

(ङ.) प्रयुक्त ईंधन:- 1000 के0वी0ए0 के 02 डी0जी0 सेट हेतु।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।

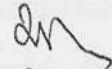
5. मै0 विमोर वैभव इन्फ्रा होम प्रा0लि0 द्वारा ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "वी0वी0आई0पी0 एड्रेस" जो 66406 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल में है, के अन्तर्गत बिस्टअप एरिया 2,58,548.42 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय परियोजना का निर्माण किया जाये। निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नहीं किया जाये।
6. संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार घरेलू उत्प्रवाह 323 के0एल0डी0 में से 183 के0एल0डी0 उत्प्रवाह का शोधन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम मोरटी के 56 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 में शुद्धिकृत किया जायेगा तथा 140 के0एल0डी0 उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 170 के0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया जाये। यदि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम मोरटी के 56 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 में घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकृत नहीं किया जाता है तो परियोजना द्वारा स्वयं का पूर्ण क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया जाये।
7. संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डीजीसेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।
8. सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एम0एस0डब्ल्यू0 रूल्स 2000 के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।
9. म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबल वेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग/बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जाये।
- 10- समस्त प्रस्तावित डी0जी0 सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ प्रस्तावानुसार चिमनी भी स्थापित की जाये।
11. संस्था प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्नेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।
12. संस्था नियमानुसार हरित पट्टिका का विकास करें।
13. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।
14. संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से प्राप्त पर्यावरणीय क्लीयरेंस की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
15. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पॉच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।
16. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों तथा मा0 न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों/स्वीकृतियों के अधीन होगी।
17. उद्योग द्वारा किसी भी परिस्थिति में उत्प्रवाह परिसर के बाहर भूमि पर तथा परिसर के अन्दर रिवोरिंग द्वारा जमीन के अन्दर नहीं डाला जायेगा।
18. Unit will put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building for effective and efficient control of dust emission generated during construction of the project.
19. Storage of any construction material particularly sand will not be done on any part of street and roads in the projects area. The construction material of any kind stored on sight will be fully covered in all respect so that it does not disperse in the air in any form.
20. All the construction material & debris will be carried in trucks or vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or construction material does not get dispersed into the air or atmosphere in any form whatsoever.
21. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.
22. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.

मै0 विभोर वैभव इन्फ्रा होम प्रा0लि0 द्वारा गुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "वी0वी0आई0पी0 एड्रेस" खसरा नं0- 853, 854, 855, 856, 901, 903, 1111 एवं 1114, ग्राम- नूरनगर, परगना लोनी, राज नगर, एक्सटेंशन, गाजियाबाद

23. The vehicles carrying construction debris or construction material of any kind will be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
24. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle.
25. All medical help, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of construction debris or construction material relating to dust emission.
26. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.
27. Fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.
28. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.
29. Wind breaking walls will be constructed around the construction site.
30. Green belt will be developed around the buildings as per Rules.
31. All approach roads & incampus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.
32. संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पत्रांक-एफ-63918/सी-1/एन0ओ0सी0/जी-1043/2015, दिनांक 30.6.15 का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 31.12.15 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय


(डा0 राजीव कुमार)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0.

एन0ओ0सी0

तद दिनांक

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)